

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक:-39/2015

संस्थित दिनांक-30.06.2009

फाईलिंग नंबर-230303002702009

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. बृजभानसिंह उर्फ घोड़ा पुत्र रामचरनसिंह गुर्जर

उम्र 28 साल निवासी लक्ष्मनगढ़ थाना महाराजपुरा

-----आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक

आरोपी द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 15.12.2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त बृजभानसिंह उर्फ घोड़ा के विरुद्ध धारा 393 सहपठित धारा-398 भा0द0सं0 विकल्प में धारा-393 भा0द0सं0 सहपठित धारा 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 24.02.09 को शाम करीब 4.00 बजे जिला भिण्ड जो कि उस समय डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित था, के अंतर्गत थाना मालनपुर क्षेत्र में स्थित सदर बाजार में उसने तेजसिंह माहौर की दुकान पर नगद रूपयों की लूट का प्रयत्न किया और उस समय प्राण घातक आयुधों 'आग्नेयास्त्र' का उपयोग लूट के अपराध हेतु किया।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 24.02.2009 को घटनास्थल सदर बाजार मालनपुर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी तेजसिंह माहौ वार्ड नंबर-11 मुहल्ला मालनपुर में रहता है तथा स्वयं की जूता की दुकान गौड़ मार्केट सदर बाजार मालनपुर में करता है। दिनांक 24.02.09 की शाम चार बजे वह अपनी दुकान पर बैठा था कि उसी समय ग्राम लक्ष्मनगढ़ का बृजभान उर्फ घोड़ा गुर्जर हाथ में 315 बोर का कट्टा लिये आया और उसकी छाती से अड़ाकर बोला कि मादरचोद रुपये निकाल। सोई वह चिल्लाया तो सोवरनसिंह, रामवीर व विजय, बालाराम दौडकर आये तो वह कट्टा लहराते हुए भाग गया। अगर यह लोग नहीं आते तो वह रुपये लूटकर ले

जाता।

4. फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप.क्र.-23/09 धारा-393 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन इत्यादि की कार्यवाही उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 393 सहपठित धारा-398 भा0द0सं0 विकल्प में धारा-393 भा0द0सं0 सहपठित धारा 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में पुरानी रंजिश के आधार पर झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 24.02.09 को शाम करीब 4.00 बजे म0प्र0 डकैतीप्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित सदर बाजार में फरियादी तेजसिंह माहौर की दुकान पर नगद रूपयों की लूट का प्रयत्न किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक स्थान व समय पर उक्त लूट के प्रयत्न में आग्नेयास्त्र का उपयोग किया ?

--निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 1 एवं 2 का निराकरण

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन कथानक मुताबिक घटना के बालाराम अ0सा0-3, रामवीर अ0सा0-4, बंटी अ0सा0-7 और सौवरन अ0सा0-8 मौके के साक्षी बताये गये हैं जिन्हें कथानक मुताबिक फरियादी तेजसिंह के चिल्लाने पर उसकी दुकान पर पहुंचना और उनके पहुंचने के कारण आरोपी का भाग जाना बताया गया है। किन्तु उक्त साक्षियों ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कथानक मुताबिक घटना का समर्थन नहीं किया है। बालाराम अ0सा0-3 और रामवीर अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो बताया है कि फरियादी तेजसिंह उनके मुहल्ले का है जो मालनपुर में जूतों की दुकान खोले है किन्तु दोनों ही साक्षियों ने इस बात से इन्कार किया है कि वे आरोपी बृजभान उर्फ घोड़ा को जानते हैं। इस बात से भी इन्कार किया है कि फरियादी तेजसिंह की दुकान पर विचाराधीन आरोपी ने आकर फरियादी को गालियाँ दीं और उसकी दुकान पर लूट करने की कोशिश की। इस संबंध में दोनों ने ही पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। रामवीर ने प्र0पी0-6 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। दोनों साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है और पूछे गये सूचक प्रश्नों

में लूट के प्रयत्न की घटना के संबंध में उनके द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। दोनों साक्षी आरोपी की गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-1 व जप्ती पत्रक प्र0पी0-2 के पंच साक्षी हैं। प्र0पी0-2 मुताबिक 315 बोर का देशी कट्टा व एक जिन्दा कारतूस आरोपी से जप्त किया जाना बताया गया है जिसका भी दोनों साक्षियों ने कोई समर्थन नहीं किया है। प्र0पी0-1 व 2 पर बालाराम अ0सा0-3 ने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं किन्तु जप्ती, गिरफ्तारी से वह इन्कार करता है। उसके सामने पुलिस के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका बनाये जाने का उसने समर्थन किया है। और नक्शामौका प्र0पी0-3 पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताये हैं। शेष तथ्यों से उसने इन्कार किया है। उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि फरियादी तेजसिंह की मालनपुर में जूतों की दुकान है और घटना दिनांक को भी थी जिसका तेजसिंह के बताये अनुसार बालाराम के समक्ष पुलिस द्वारा प्र0पी0-3 का नक्शामौका बनाया गया था। प्र0पी0-3 के संबंध में फरियादी तेजसिंह अ0सा0-1 ने भी समर्थन किया है।

9. बंटी अ0सा0-7 और सोवरन अ0सा0-8 जिन्हें भी मौके का साक्षी बताया गया है, किन्तु उन्होंने भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और वे दोनों साक्षी भी फरियादी तेजसिंह को जानना बताते हैं। अ0सा0-9 ने भी मालनपुर में तेजसिंह की जूतों की दुकान होना बताया है किन्तु उसकी दुकान पर आरोपी बृजभान उर्फ घोड़ा गुर्जर निवासी लक्ष्मनगढ़ का होना और उसके द्वारा लूट की कोशिश किये जाने का भी वह समर्थन नहीं करते हैं। बंटी ने इस संबंध में प्र0पी0-8 व सोवरन ने प्र0पी0-9 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। इस प्रकार से अभियोजन के कथानक का मौके के चारों साक्षियों के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है।
10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि आरोपी बृजभान उर्फ घोड़ा और फरियादी तेजसिंह की पुरानी रंजिश है क्योंकि तेजसिंह के भाई के द्वारा भी उसके विरुद्ध पूर्व में रिपोर्ट की गई थी इसलिये उसने असत्य कहानी गढ़कर झूठी रिपोर्ट की है और पुलिस ने सही जांच नहीं की। घटना का स्वतंत्र साक्षियों से समर्थन नहीं है इसलिये मामला संदिग्ध माना जावे। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन न करने से अन्य साक्षियों की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है। और चारों साक्षी अ0सा0-3, 4, 7 एवं 8 आरोपी के दबाव प्रभाव या प्रलोभन में आकर असत्य कथन करके गये हैं।

11. प्रकरण में मौके के बताये गये चारों साक्षी अ0सा0-3, 4, 7 व 8 के द्वारा मूल कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और वे पक्ष विरोधी घोषित हुए हैं जिनकी स्थिति स्वतंत्र साक्षी की बताई गई है। चारों ही साक्षी मजदूर पेशा हैं और मालनपुर के निवासी हैं। स्वतंत्र साक्षियों के पक्ष विरोधी होकर समर्थन न करने के कई अज्ञात कारण हो सकते हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **अप्पा भाई एवं अन्य वि.0 स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर. 1998 एस.सी. पेज-699** में यह प्रतिपादित किया गया है कि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन न किए जाने के कई अज्ञात कारण हो सकते हैं और वर्तमान समय में लोगों में दूसरे में न पडने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ऐसे में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन की पुष्टि न किए जाने के आधार पर ही अभियोजन के मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिये उक्त चारों साक्षियों के पक्ष विरोधी हो जाने के आधार पर

अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्य को न तो त्यागा जा सकता है न ही अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है। यह अवश्य है कि ऐसी स्थिति में शेष साक्षियों की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता हो जाती है।

12. फरियादी तेजसिंह अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि करीब 4-5 साल पहले वह अपने मालनपुर स्थित जूते की दुकान पर था। शाम के करीब चार बजे का समय था तब उसकी दुकान पर आरोपी बृजभान सिंह हाथ में कट्टा लिये हुए आया था और उसे मादरचोद बहनचोद की गालियाँ दी थीं। उसी समय सोवरन, रामवीर, विजयराम आदि आ गये थे जिन्हें देखकर आरोपी हाथ में कट्टा लहराते हुए भाग गया था। यदि उक्त लोग नहीं आते तो आरोपी उसकी दुकान को लूट कर ले जाता। जिसके संबंध में उसने थाना मालनपुर में प्र0पी0-4 की रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताता है। उसने पैरा-3 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी न ही उसका कोई सामान लूटा था और आरोपी को पूर्व से जानने का स्पष्टीकरण देते हुए वह बताता है कि घटना के पूर्व आरोपी ने उसके भाई विजय के यहाँ भी डकैती डाली थी इसलिये वह पहचानता है। जब आरोपी उसकी दुकान पर आया था उस समय वह अकेला था और घटना के समय अन्य दुकानें खुली हुई थीं। पैरा-4 के अंत में उसने आरोपी को नहीं पहचानने की बात भी कही है।

13. आत्माराम शर्मा अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 24.02.09 को थाना प्रभारी मालनपुर के पर पर पदस्थ रहना बताते हुए उक्त दिनांक को फरियादी तेजसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी बृजभान उर्फ घोडा के विरुद्ध प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध कर अप0क्र0-23/09 की कायमी करना और शेष विवेचना उपनिरीक्षक आर0सी0 पाठक को सुपुर्द करना कहा है। यह स्वीकार किया है कि आरोपी कोई सामान लूटकर नहीं ले गया था लेकिन फरियादी ने लूट के प्रयास की घटना बताई थी।

14. उक्त दोनों साक्षियों के संबंध में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आरोपी को फरियादी तेजसिंह ने कोई लूट कर ले जाने की बात का समर्थन नहीं किया है न ही उसकी कोई मारपीट की गई है। तथा अंत में उसने आरोपी को पहचानने से भी इन्कार किया है और पुलिस द्वारा आरोपी की कोई पहचान की कार्यवाही नहीं कराई गई है। तथा फरियादी आरोपी से रंजिश माने हुए है इसलिये उसके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जावे। जिसका विशेष लोक अभियोजक ने अपने तर्कों में खण्डन करते हुए कहा है कि फरियादी ने सभी तथ्य स्वच्छता से न्यायालय के समक्ष प्रकट किये हैं और वह स्वाभाविक साक्षी है इसलिये उसकी साक्ष्य का अग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

15. अ0सा0-1 फरियादी तेजसिंह के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य पैरा-3 में स्वीकार किया है कि आरोपी से वह रंजिश रखता है लेकिन रंजिश का कारण भी उसने स्पष्ट किया है कि आरोपी ने पहले उसके भाई के यहाँ

डकैती की घटना की थी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि रंजिश के आधार पर ही उसने लूट के प्रयत्न की कहानी गढ़कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में मौके के संबंध में केवल फरियादी तेजसिंह का ही अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्ष्य आया है और दाण्डिक मामलों में एकल साक्ष्य पर दोषसिद्धि पर कोई विधिक बाधा नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-134 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी तथ्य विशेष के प्रमाण हेतु साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला (2003) वोल्यूम-फर्स्ट एस0सी0सी0 पेज-465** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी पूरी तरह से विश्वसनीय यदि पाई जाती है तो उस पर दोषसिद्धि स्थिर की जा सकती है और यह भी मार्गदर्शित किया गया है कि धारा-134 साक्ष्य विधान के तहत साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय साक्ष्य की मात्रा नहीं देखी जानी चाहिए। अपितु उसकी गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। हस्तगत मामले में फरियादी तेजसिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी को पहले से नपाम व शक्ल से पहचानने का कारण बताया गया है। रंजिश का भी उसने स्पष्ट कारण बताया है और रंजिश के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि रंजिश एक ऐसी दुधारू तलवार की तरह होती है जो दोनों तरफ से वार करती है अर्थात् जहाँ एक ओर रंजिश झूठा फंसाये जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभावना है कि रंजिश के कारण ही घटना को अंजाम दिया जावे। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **रूली एवं अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य 2002 एस.सी.सी. (किमिनल) पेज-1837** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है।

16. साक्षी के मूल्यांकन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **लालूमानजी विरुद्ध स्टेट ऑफ झारखण्ड (2003) वोल्यूम-2 एस0सी0सी0 पेज-401** में साक्षियों की श्रेणियों को स्पष्ट किया गया है जिसमें साक्षियों की तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं। पहला पूरी तरह से विश्वसनीय साक्षी, दूसरा पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्षी, एवं तीसरा न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्षी। जहाँ तीसरी श्रेणी का साक्षी होता है वहाँ सावधानी के नियम का पालन करने की आवश्यकता होती है और तीसरी श्रेणी के साक्षी के लिये ही प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संपुष्टि देखी जानी चाहिए। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के साक्षियों के संबंध में अन्य साक्ष्य के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। इस बिन्दु पर न्याय दृष्टांत **बाडी वेलू थेवर विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास ए0आई0आर0 1957 एस0सी0 पेज-614** अवलोकनीय है।

17. हस्तगत मामले में फरियादी तेजसिंह लूट के प्रयत्न की घटना जैसी कि प्र0पी0-4 में बताई गई है उसके संबंध में पूर्ण विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी का है क्योंकि उसकी मालनपुर में जूते की दुकान होना अन्य साक्ष्य से भी संपुष्टि हुआ है। घटना सदर बाजार गौड मार्केट मालनपुर में फरियादी की दुकान की ही प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 मुताबिक बताई गई है और उसमें जो मूल तथ्य बताये गये हैं उस बाबत तेजसिंह अ0सा0-1 का स्पष्ट अभिसाक्ष्य आया है और प्रति परीक्षा में उसका कोई खण्डन नहीं हुआ है

जिससे प्र०पी०-4 की एफ०आई०आर० अ०सा०-1 रिपोर्टकर्ता और अ०सा०-2 रिपोर्ट लेखक के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है। क्योंकि अ०सा०-2 ने भी यह स्पष्ट किया है कि लूट के प्रयास की ही घटना रिपोर्ट में बतलाई गई थी जैसा कि आरोपी के विरुद्ध आरोप भी विरचित है। इसलिये रंजिश के बिन्दु का बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तथा जहाँ तक शिनाख्ती का प्रश्न है, चूंकि मामले की नामजद रिपोर्ट है। आरोपी को फरियादी तेजसिंह ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान भी स्पष्ट रूप से पहचाना है। ऐसे में अनुसंधान के दौरान शिनाख्ती परेड की आवश्यकता धारा-9 साक्ष्य विधान के तहत नहीं रह जाती है। शिनाख्ती परेड की आवश्यकता केवल उन मामलों में होती है जहाँ मामला अज्ञात में हो या पीड़ित घटना कारित करने वाले को पहले से न जानता हो और मौके पर देखा हो और पहचानने की बात बताये। जबकि ऐसा इस मामले में नहीं है। इसलिये शिनाख्ती के बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

18. घटना की विवेचना करने वाले आर०सी० पाठक अ०सा०-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 24.02.09 को थाना मालनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए उक्त दिनांक को अप०क्र०-23/09 की एफ०आई०आर० विवेचना के लिये प्राप्त होना बताते हुए यह कहा है कि उसने विवेचना में फरियादी तेजसिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी०-3 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताता है जिसका समर्थन फरियादी तेजसिंह अ०सा०-1 ने भी किया है और बालाराम अ०सा०-3 ने भी किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि फरियादी तेजसिंह के साथ लूट के प्रयास की जो घटना घटित हुई वह उसकी मालनपुर स्थित जूते की दुकान पर ही घटित हुई है और उसके संबंध में स्वतंत्र साक्ष्य का समर्थन न होने से अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

19. विवेचक आर०सी० पाठक अ०सा०-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में साक्षी तेजसिंह के अलावा सोवरन, रामवीर, बंटी और बालाराम के भी कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना कहा है जिन्होंने अवश्य समर्थन नहीं किया है। इसके बारे में ऊपर ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। तथा उक्त विवेचक ने घटना के अगले दिन दिनांक 25.02.09 को फरियादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कि आरोपी बृजभान उर्फ घोडा गुर्जर कट्टा लेकर नोवा फैंक्ट्री के पास से जाकर गिरफ्तार कर प्र०पी०-1 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करना तथा तलाशी लिये जाने पर उसके पास 315 बोर का देशी कट्टा व एक जिन्दा कारतूस मिलने पर उन्हें प्र०पी०-2 के द्वारा जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाना बताया है। किन्तु जप्ती गिरफ्तारी के संबंध में अभिलेख पर स्वतंत्र साक्ष्य नहीं आई है क्योंकि प्र०पी०-1 व 2 के पंच साक्षियों में फरियादी तेजसिंह अ०सा०-1 भी है और बालाराम अ०सा०-3 है।

20. बालाराम अ०सा०-3 ने तो जप्ती, गिरफ्तारी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है जबकि तेज सिंह अ०सा०-1 पैरा-2 में तो आरोपी को गिरफ्तार किये जाने और उसके कब्जे से कट्टा कारतूस जप्त होना बताता है किन्तु पैरा-3 में वह उस पर स्थिर नहीं है और यह कहता है कि आरोपी

से उसके सामने किसी भी प्रकार का माल या कट्टा आदि बरामद नहीं हुआ था और उसने यह नहीं देखा कि आरोपी के पास 12 बोर का कट्टा था और माउजर का कट्टा था। ऐसे में जप्ती के संबंध में विरोधाभासी साक्ष्य होने से उक्त साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। किन्तु इस आधार पर भी शेष साक्ष अग्राह्य नहीं होगी क्योंकि किसी पक्ष विरोधी साक्षी के अभिसाक्ष्य में भी यदि कोई तथ्य आता है तो उसे ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात् किसी भी साक्षी को पक्ष विरोधी हो जाने पर उसका संपूर्ण साक्ष्य अग्राह्य नहीं होता है न ही निरर्थक होता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू0पी0 विरुद्ध चेताराम ए0आई0आर0 1989 एस0सी0 पेज-1543** में मार्गदर्शित किया गया है। इसलिये जप्ती गिरफ्तारी के संबंध में तेजसिंह अ0सा0-1 की साक्ष्य अस्वीकार होने पर लूट के प्रयास के संबंध में उसकी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जावेगा। इस प्रकार से अभिलेख पर जो साक्ष्य परिस्थिति हैं उससे युक्तियुक्त संदेह से परे उक्त मूल्यांकन अनुसार आरोपी बृजभान उर्फ घोड़ा के विरुद्ध यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 24.02.09 को उसने शाम के करीब 4.00 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित मालनपुर में फरियादी तेजसिंह की सदर बाजार स्थित जूते की दुकान पर जाकर लूट का प्रयास किया था। फलतः विकल्प में लगाया गया आरोप धारा-393 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत विरचित आरोप प्रमाणित होता है। फलतः आरोप को धारा-393 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। चूंकि लूट के प्रयत्न की घटना में आग्नेय शस्त्र के उपयोग की प्रमाणिकता नहीं आई है इसलिये अन्य आरोप धारा-393 सहपठित धारा-398 भा0द0वि0 के आरोप से संदेह के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।

21. प्रकरण में अन्य परीक्षित साक्षियों में से आरक्षक सुरेश दुबे अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.03.09 को पुलिस लाइन भिण्ड में आरक्षक आर्म्स मुहर्रिर के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए थाना मालनपुर के अप0क्र0-23/09 में जप्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा मय जिन्दा कारतूस सीलबंद अवस्था में जांच हेतु शास्त्रागार भिण्ड से प्राप्त होने पर उनकी जांच करना, जांच करने में कट्टे का एक्शन चालू होकर सही हालत में पाया जाना और फायर योग्य होना तथा कारतूस जीवित होकर फायर योग्य होना बताते हुए प्र0पी0-7 की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया है और जांच उपरान्त कट्टा कारतूस पुनः सीलड कर शास्त्रागार में जमा करना कहा है जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। इसलिये उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-7 की जांच रिपोर्ट प्रमाणित होती है। जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि उक्त साक्षी की ओर थाना मालनपुर की ओर से जो आग्नेय शस्त्र भेजे गये वे फायर योग्य थे और आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आते थे जिनका उपयोग किया जा सकता था।

22. योगेन्द्रसिंह अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 05.03.09 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए थाना मालनपुर के अप0क्र0-23/09 की केसडायरी

तथ उसमें जप्त आयु पुलिस अधीक्षक के पत्र क्रमांक-207 दिनांक 16.03.09 के द्वारा आरक्षक यशवंतसिंह के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जिला दण्डाधिकारी श्री सुहैल अली के द्वारा उनका अवलोकन कर आरोपी बृजभान उर्फ घोड़ा के विरुद्ध अवैध आग्नेय शस्त्र पाये जाने के कारण अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र०पी०-5 दी जाना बताया है। प्र०पी०-5 पर उसने ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के व बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है।

23. उक्त अभिसाक्ष्य के संबंध में प्रतिपरीक्षा में कोई तथ्य नहीं आये हैं इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन चलाने की स्वीकृति दिये जाने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोई अविवेकपूर्ण कार्यवाही की गई। बल्कि आयुध और केसडारी के अवलोकन पश्चात अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति दी जाना बताई गई है। इसलिये प्र०पी०-5 की अभियोजन स्वीकृति को उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित माना जावेगा। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **गुरुदेवसिंह उर्फ गोगा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० आई०एल०आर० (2011) एम०पी० पेज-2053** में यहाँ तक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया है कि अभियोजन चलाने की स्वीकृति लेते समय आयुधों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। और उक्त न्याय दृष्टांत में पूर्व के न्याय दृष्टांत ओव्हर रूल्ड भी किये गये हैं। इस तरह से उक्त साक्षी से प्र०पी०-5 का दस्तावेज प्रमाणित होता है। किन्तु आग्नेय शस्त्र की जांच रिपोर्ट और अभियोजन चलाने की स्वीकृति के प्रमाणित होने के बावजूद जब तक जप्ती प्रमाणित न हो तब तक आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। तथा विचाराधीन मामले में तो आयुध अधिनियम 1959 के तहत कोई आरोप भी विरचित नहीं हुआ है। इसलिये उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य से प्रकरण के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथा यदि प्रकरण में आयुध अधिनियम का आरोप विरचित करके भी निराकरण किया जाता है तब भी आयुध अधिनियम का आरोप उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होगा। इसलिये उसके संबंध में अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

24. इस प्रकार आरोपी बृजभान उर्फ घोड़ा को धारा-393 भा०द०वि० सहपठित धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। लूट के प्रयत्न का मामला अपने आप में गंभीर है तथा आरोपी 21 वर्ष से अधिक की आयु का है और प्रकरण में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जिससे आरोपी को अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का कोई लाभ प्राप्त करने की पात्रता आती हो। इसलिये दण्डाज्ञा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश (डकैती)

गोहद जिला भिण्ड

दण्डाज्ञा

25. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने गये। विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि आरोपी को लूट की वारदातों के बढ़ते ग्राफ के कारण कड़ा दण्ड दिये जाने की प्रार्थना की गई है। जबकि आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया है कि आरोपी गरीब व्यक्ति है और खेती करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है, एवं नवयुवक है। अधिक समय तक जेल में रहने से उसके व उसके परिवार के ऊपर गंभीर आर्थिक संकट पड़ेगा और उसका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जावेगा। क्योंकि उसके अलावा परिवार में और कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। तथा आरोपी शांतिप्रिय नागरिक है तथा पूर्व की दोषसिद्धि नहीं है प्रथम अपराधी है इसलिये उसे न्यायिक निरोध में काटी गई अवधि से ही दण्डित कर और अर्धदण्ड से दण्डित कर छोड़ दिया जावे।

26. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार किया गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया। आरोपी बृषभान उर्फ घोड़ा 21 वर्ष से अधिक आयु का है। तथा विचारण के दौरान प्रकरण में वह केवल दिनांक 26.02.09 से 16.05.09 तक तथा दिनांक 05.10.15 से आज दिनांक तक न्यायिक निरोध में है जो अवधि किसी भी रूप से पर्याप्त नहीं है और आरोपी के विरुद्ध धारा-393 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध पाया गया है। उक्त विशेष अधिनियम में कम से कम पांच वर्ष का सश्रम कारावास और अर्धदण्ड की दण्डाज्ञा अधिरोपित होना आवश्यक है तथा धारा-393 भा0द0वि0 के अपराध के लिये सात वर्ष तक के सश्रम कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। तथा राजस्व जिला भिण्ड में लूट डकैती जैसे गंभीर अपराध बहुतायत में हो रहे हैं। इसी कारण विधायिका द्वारा इस जिले में डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 को प्रभावी किया गया है और उक्त अधिनियम वर्ष 2000से प्रभावी होने के बावजूद ऐसे अपराधों में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है। इसलिये अपराध को साधारण रूप में नहीं लिया जा सकता है और पूर्व की दोषसिद्धि का प्रमाण अभिलेख पर न होने मात्र के आधार पर आरोपी के प्रति उदारता नहीं बरती जा सकती है।

27. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण मूलतः वर्ष 2009 में पेश हुआ था और विचारण के दौरान आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से काफी समय अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित रहा और उसके विरुद्ध धारा-299 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही कर फरार घोषित किया गया। फरारी में भी धारा-299 दप्रसं के अंतर्गत साक्ष्य दी गई। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में आरोपी को पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर मुरैना जेल से जरिये प्रोडक्शन वारण्ट आहूत किया गया था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस अपराध के अलावा आरोपी पर और भी अपराध दर्ज रहे हों। इसलिये पूर्व की दोषसिद्धि का प्रमाण न होने का कोई लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता है।

28. अतः प्रकरण की समस्त प्रकार की परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात आरोपी द्वारा कारित अपराध जो कि उसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से दुकान कर अपना और अपने परिवार का भरणपोषण करने वाले फरियादी तेजसिंह माहौर के साथ कारित की गई घटना का मददेनजर रखते हुए आरोपी को धारा-393 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-रुपये (पांच हजार रुपये) के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड जमा न करने पर व्यतिक्रम में आरोपी को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

29. आरोपी को सजा भुगताये जाने हेतु सजा वारण्ट तैयार किया जावे जिसके साथ उसके द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि को समायोजित किये जाने बाबत धारा-428 दफ्तर के अंतर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
30. आरोपी को निर्णय की नकल निःशुल्क प्रदान की जावे।
31. प्रकरण में जप्तशुदा बताया गया 315 बोर का देशी कट्टा मय एक कारतूस विधिवत निराकरण हेतु अपील अवधि उपरान्त डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।
32. निर्णय की एक प्रति निःशुल्क डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 15.12.2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)